चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओं को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती है।

(2). आज दिनाँक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में दिनांक 03.04.2024 की रात्रि में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह एवं प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश कुमार मौर्य द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु जनपद को आबन्टित मणिपुर एस.ए.पी. फोर्स का चित्रकूट-प्रयागराज बॉर्डर पर पुष्प गुच्छ देकर एवं जलपान कराकर भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात सभी जवानों को भोजन कराया गया एवं मानिकपुर के लिये रवाना किया गया जहां पर थाना मानिकपुर अन्तर्गत फायर सर्विस के आवासीय परिसर में रुकवाया। इस फोर्स द्वारा पुलिस के साथ समस्त थाना क्षेत्रों के विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर ऐरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की जायेगी।

इस दौरान उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह, उ0नि0 श्री पवन प्रधान एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगणउपस्थित रहे।

(4). दिनाँक 03.04.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद चित्रकूट के समस्त थानो द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें यातायात नियमों का उल्लघंन कर यात्रा करने वाले कुल 239 दो पहिया/चार पहिया/ई रिक्शा/आटो टैक्सी/टेम्पो वाहनों का कुल 5,41,000 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया। कुल 136 वाहनों को

सीज किया गया। वाहन चालकों को जागरूक करते हुए सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सड़क पर यात्रा कर रहे यात्री पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए यातायात के नियमों का पालन करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो पाए इसीलिए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वह यातायात नियमों का पालन करें।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अवैध निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री मनोज कुमार के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्ता ज्ञानमति पत्नी प्रकाश निषाद निवासी चिल्लाराकस थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 100 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया ।

बरामदगी

100 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह थाना राजापुर

2.आरक्षी लवकुश यादव

3.आरक्षी शुभम मिश्रा

4.आरक्षी प्रकाश मिश्रा

5.महिला आरक्षी अंजू वर्मा

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का अनुपाल कराने तथा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी एवं उनकी टीम द्वारा चैकिंग के दौरान लमियारी बैरियर से अभियुक्त रामस्वरुप शुक्ला पुत्र स्व0 रामचन्द्र शुक्ला निवासी गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। जामा तलाशी से अभियुक्त के कब्जे से 12 लाख 70 हजार रुपये बरामद हुये। माननीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बरामदशुदा रुपये कब्जा पुलिस में लेकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी एवं आयकर विभाग के साथ सर्वसंबन्धित को अवगत करा दिया गया है।

बरामदगीः-

(1).01 अदद तमंचा 315 बोर

(2).02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

(3).12 लाख 70 हजार रुपये

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक सरधुवा श्री आशुतोष तिवारी

2.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय

3.उ0नि0 श्री मुन्नीलाल

4.आरक्षी अतुल मिश्रा

6.आरक्षी नरेश कुशवाहा

7.आरक्षी धर्मेन्द्र कुमार द्वितीय

(7). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार आरक्षी महेश्वरीदीन

मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री विनोद कुमार शुक्ला एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चित्रकूट श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट द्वारा पुलिस मुख्यालय से चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 19/2019 धारा 308,323,504,506,34 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. राजकुमार उर्फ ननबुद विश्वकर्मा पुत्र माता प्रसाद विश्वकर्मा 2. ललिता देवी पत्नी राजकुमार उर्फ ननबुद विश्वकर्मा निवासी लक्ष्मीपुर मजरा खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 04-04 वर्ष का कारावास व 09-09 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

घटना का विवरणः-

दिनाँक 30.07.2018 को वादी रामसुफल पुत्र माता प्रसाद निवासी लक्ष्मीपुर थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ में सूचना दी थी कि उनके भाई राजकुमार उर्फ ननबूद उपरोक्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट कर गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी है । इस सूचना पर थाना मऊ में एनसीआर नं0 160/2018 धारा 323,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया था । तत्कालीन उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव द्वारा मुकदमें की विवेचना की गयी । दिनाँक 23.01.2029 को मजरूब की सीटी स्कैन रिपोर्ट के आधार पर एनसीआर उपरोक्त को मु0अ0सं0 19/2019 धारा 308,323,504,506,34 भादवि0 में तरमीम किया गया था । आरोपियों के विरुद्ध दिनांक 11.104.2019 को माननीय न्यायालय में आरोप-पत्र प्रेषित किया गया था ।

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव-2024 के दृष्टिगत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह एवं उनके हमराही द्वारा अभियुक्त शब्बीर उर्फ बीरु पुत्र स्व0 रफीक खां निवासी आदर्श कालोनी के बगल में गोईयां रोड थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 01 अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना बरगढ़ में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

(1).01 अदद तमंचा 315 बोर

(2).02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री राधेश्याम सिंह थाना बरगढ़

2.आरक्षी शुभम पटेल

(9). आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में आगामी लोकसभा चुनाव को शान्तिपूर्ण और भयमुक्त सम्पन्न कराए जाने हेतु थानाध्यक्ष मारकुण्डी श्री मनीष कुमार के नेतृत्व में थाना मारकुण्डी क्षेत्र के ग्राम बम्भिया, इटवां डुडैला, बगरहा, छोटी पाटिन, मनगवां, टिकरिया स्टेशन, करौंहा में थाना मारकुण्डी पुलिस बल एवं सशस्त्र सीमा बल के साथ एरिया डोमिनेशन किया गया। इस दौरान आम जनता को भरोसा दिलाया कि निर्भीक होकर मतदान करें।

(10). आज दिनाँक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में आगामी लोकसभा चुनाव एवं शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना पहाड़ी पुलिस द्वारा कस्बा पहाड़ी में पैदल गस्त किया गया । इस दौरान दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया ।

पैदल गस्त कै दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री श्याम प्रताप पटेल, पीआरओ श्री प्रवीण सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण साथ में रहे ।

(11). आज दिनाँक 04.04.024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में प्रभारी यातायात श्री शैलेन्द्र सिंह द्वारा यातायात जागरुकता अभियान के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लघंन कर यात्रा करने वाले 206 दो पहिया/चार

पहिया/ई रिक्शा/आटो टैक्सी/टेम्पो वाहन चालकों से कुल 5,50,100 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया जिसमें से 02 मोटरसाइकिल एवं 13 ई-रिक्शा कुल 15 वाहनों को सीज किया गया। वाहन चालकों को जागरूक करते हुए प्रभारी यातायात ने सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करते हुए बताया कि सड़क पर यात्रा कर रहे यात्री पुलिस से बचने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए उक्त ट्रैफिक नियमों का पालन करें। पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है कि किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना घटित न हो पाए इसीलिए सभी वाहन चालकों से अनुरोध है कि वह यातायात नियमों का पालन करें।